

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी  
पत्रांक : 3691/37, वन भूमि हस्तान्तरण /2020-21, रामनगर, दिनांक, मार्च 20, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र,  
उ०प्र० कानपुर।

विषय : जनपद चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत नौगढ़ से नौगढ़ बांध सम्पर्क मार्ग के किमी० ०.०० से १२.०० किमी० तक मार्ग निर्माण में प्रभावित ९.९० हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : उप राक्षि, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२, लखनऊ का पत्र संख्या- पी-२९/८१-२-२०२०-८००(८५)/२०१९ लखनऊ दिनांक ११ जून, २०२० एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-२२१०/११-सी-FP/UP/Road/35290/2018 लखनऊ, दिनांक जून १७, २०२०

महोदय,

विषयक प्रकरण में सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक ११ जून-२०२० द्वारा २७ (सत्ताईस) शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी करते हुए अनुपालन आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-७९३१/३७, दिनांक ३०.०६.२०२० एवं पत्र संख्या-३१९८/३७, दिनांक २०.०२.२०२१ द्वारा वांछित धनराशि जमा कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या आवश्यक अभिलेखों सहित टेबुलर फार्म में उपलब्ध कराने हेतु अधिशारी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड(प्र०प०), लो०नि०वि०, चन्दौली से अनुरोध किया गया था। उक्त पत्र के अनुपालन में अधिशारी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड(प्र०प०), लो०नि०वि०, चन्दौली ने अपने पत्र संख्या ७५/१सी, दिनांक ०९.०२.२०२१ एवं पत्र संख्या १२३/१सी/२०२१, दिनांक १०.०३.२०२१ द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में आवश्यक अभिलेखों सहित काशी वन्य जीव प्रभाग में दिनांक १५.०३.२०२१ को उपलब्ध कराया गया है। अधिशारी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड(प्र०प०), लो०नि०वि०, चन्दौली द्वारा उपलब्ध कराये गये बिन्दुवार आख्या के आधार पर उ०प्र० शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक ११ जून, २०२० की अनुपालन आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित चार प्रतियों में निम्नानुसार प्रेषित है। -

| Sl. No | Conditions                                                                                                 | Status of Compliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1      | The Forest area involved in not within a national Park and/ of Wild Life Sanctuary                         | प्रश्नगत वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य/रिजर्व बांध/छाती कोरीडोर के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                          |
| 2      | User Agency (UA) shall explore all feasible alternatives to minimize user of forest land.                  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है एवं अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। इससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                                                       |
| 3      | Forest Land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall used only when it is unavoidable. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु न्यूनतम वन भूमि का उपयोग किया जायेगा। इससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                                                                                    |
| 4      | The UA shall submit scheme for compensatory Afforestation as per extant guidelines in the matter.          | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु रकमी वन भूमि, वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                              |
| 5      | The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court.               | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित इससे सम्बन्धित ९.९० हे० वन भूमि का एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि ९४०३९१०.०० परियेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC Code CORP0000371 Account No. 150906135290796 में प्रस्तावक द्वारा जमा कर दी गई है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्नक-१ व २) |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | In addition to monthly report of diversions of forest land under General Approval according by MoEF&CC, each State/UT Government shall submit half yearly reports for the period ending June 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated purpose to the MoEF&CC and its concerned Regional Office. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग मार्ग चौड़ीकरण हेतु ही किया जायेगा तथा विन्दु संख्या-6 के अनुपालन में ससमय रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। (प्रमाण-पत्र संलग्न है)                                              |
| 7  | The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office MoEF&CC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                                                                  |
| 8  | The legal status of the land shall be remain unchanged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति को परिवर्तन न किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। (प्रमाण-पत्र संलग्न है)<br>संलग्नक :- 3                       |
| 9  | The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zones (ESZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रश्नगत वन भूमि eco-sensitive zone (ESZ) जोन से बाहर है।                                                                                                                                                           |
| 10 | The User agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forest and from State/UT Government.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव को सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त ही उ०प्र० सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।                                     |
| 11 | The Nodal officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5 <sup>th</sup> of every month regularly regarding approval of such cases.                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                                                                        |
| 12 | The user Agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surrounding and therefore, shall take all possible measures in this regard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के प्लोरा(वनस्पति)/फाउना(वन्य जीव) का संरक्षण करेगा। (प्रमाण-पत्र संलग्न है) संलग्नक-4                                                                              |
| 13 | The forest land shall not be used for any purpose other than specification in the proposal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। (प्रमाण-पत्र संलग्न है) संलग्नक -5                                                                                                |
| 14 | Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी घन्दीली द्वारा जारी प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                             |
| 15 | The State/UT Forest department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may Impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and / or development of forests.                                                                                                                                                                                                                                  | भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा जो भी शर्तें लगायी जायेगी उसे अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। (प्रमाण-पत्र संलग्न है)             |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिंग आदि का व्यव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                   | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा है। प्रस्तावित गैरवनभूमि पर वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों के अनुरक्षण की घनराशि का भुगतान कर दिया गया है।                                          |
| 17 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी तथा निकटवर्ती वनों की क्षति न हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी जिससे निकटवर्ती वनों को कोई क्षति नहीं होगी। (प्रमाण पत्र संलग्न है) |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न है)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षों के लिए रख-रखाव किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 9.90 हे० के सापेक्ष काशी वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम टिकुरिया में गाटा संख्या-198,197घ,234ग तहसील नौगढ़ जनपद चन्दौली के अन्तर्गत 9.90 हे० वन भूमि जिलाधिकारी चन्दौली के कार्यालय आदेश दिनांक 22.01.2021 के द्वारा गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में अमलदराजद करते हुए खतौनी में दर्ज कर दिया गया है। (संलग्नक-खतौनी) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव करने हेतु ₹0 9403810.00 परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC Code CORP0000371 Account No. 150906135290796 में प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा कराते हुए उसकी प्रति उपलब्ध करायी गयी है। (संलग्न संख्या-1व 2) |
| 20 | प्रस्ताव विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०संख्या- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation fund Management and planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तत्पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। | माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव करने हेतु ₹0 9403810.00 परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC Code CORP0000371 Account No. 150906135290796 में प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा कराते हुए उसकी प्रति उपलब्ध करायी गयी है। (प्रमाण पत्र संलग्न है)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।                                                                                                                               | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न है)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण जमा करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न है)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23 | भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/ 2007-एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या जे०-11013/41/2006- आई०ए०-11 (1) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्ताव विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (If applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।                                                 | लागू नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25 | उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) में दर्शाया गया हो।                            | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न कर, प्रस्तुत कर दिया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न है)                                                                                               |
| 27 | उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों /प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है तथा प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त अनुपालन आख्या में उल्लिखित आख्या के आधार पर अग्रोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावक विभाग के साथ संयुक्त रूप से प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण दिनांक 18.03.2021 किया गया। निरीक्षणोपरान्त वांछित प्रमाण-पत्र सहित अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की संस्तुति सहित प्रेषित है। संलग्नक-9 |
| 28 | CA amount as per proposal                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1454110.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29 | CA amount as per deposited                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1454110.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30 | Difference in amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31 | Reason for difference                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | NPV amount as per proposal                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7949700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33 | NPV amount deposited                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7949700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34 | Difference in amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35 | Reason for difference                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 | Any other amount deposited (Complete details be provided)                                                                                                                                                                                                                                                              | Nil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 37 | CAMPA confirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 सरकार के स्तर से विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में अग्रोहस्त कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में

भवदीय,  
(दिनेश सिंह),  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

पत्रांक : 3691/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0 चन्दौली को उनके पत्र संख्या 123/1सी/2021, दिनांक 10.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दिनेश सिंह),  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0  
चन्दौली**

पत्रांक 75/IC  
सेवा में,

दिनांक 09-02-2021

प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

**विषय :-** जनपद चन्दौली में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत नौगढ़ से नौगढ़ बांध सम्पर्क मार्ग किमी 0 0.00 से 12.00 किमी 0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 9.90 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्वन्ध में।

**सन्दर्भ :-** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या- पी-29/81-2-2020- 800 (85)/2019 लखनऊ, दिनांक 11 जून, 2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्वन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal) के माध्यम से जमा कर) रसीद (आनलाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है :-

| SI No | Conditions                                                                                                    | Reply/Enclosers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | The Forest area involved is not within a national Park and/or a Wild Life Sanctuary                           | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य/रिजर्व बाघ/हाथी कोरीडोर के अन्तर्गत नहीं आता है। इससे सम्वन्धित प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                           |
| 2     | User Agency ( UA) shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land.                     | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है एवं अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। इससे सम्वन्धित प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                                  |
| 3     | Forest Land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु न्यूनतम वन भूमि का उपयोग किया जायेगा। इससे सम्वन्धित प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                                                                    |
| 4     | The UA will submit scheme for compensatory Afforestation as per extant guidelines in the matter.              | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु स्कीम वन भूमि, वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                       |
| 5     | The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court.                  | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित इससे सम्वन्धित 9.90 हे० वन भूमि का एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रु० 9403810.00/- परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC Code-CORP0000371 Account No. 150906135290796 में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1 व 2) |
| 6     | In addition to monthly report of diversions of forest land under General Approval according by                | शर्त संख्या-8 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्वन्धित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

RA

12/02/21

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MoEF&CC, each State/UT Government shall submit half yearly reports for the period ending June 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated purpose to the MoEF&CC and its concerned Regional Office. |                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office MoEF&CC.                                                                                                                                                                                                                                             | शर्त संख्या-7 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                   |
| 8  | The legal status of the land shall remain unchanged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि की वैधानिक स्थिति को परिवर्तन न किये जाने के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br>(संलग्नक-3)                                                         |
| 9  | The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zones (ESZ)                                                                                                                                                                                                                                                                 | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि eco-sensitive zone (ESZ) जोन से बाहर है।                                                                                               |
| 10 | The User agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forest and from State/UT Government.                                                                                                                                                                                              | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव को सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त ही उ०प्र० सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। |
| 11 | The Nodal officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5 <sup>th</sup> of every month regularly regarding approval of such cases.                                                                                                                                                                       | शर्त संख्या-11 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                  |
| 12 | The user Agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surrounding and therefore, shall take all possible measures in this regard.                                                                                                                                                                                                     | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूमि के आस-पास स्थिति को कोई क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br>(संलग्नक :- 4)                     |
| 13 | The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal.                                                                                                                                                                                                                                                                 | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br>(संलग्नक :- 5)                    |
| 14 | Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.                                                                                                                                                                                    | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा जारी प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है।                                 |
| 15 | The State/UT Forest department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and / or development of forests.                                                                                                                                   | इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।                                                                                                          |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | जिना में अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिंग आदि का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों की क्षति न हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी जिससे निकटवर्ती वनों को कोई क्षति नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षों के लिए रख-रखाव किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 9.90 हे० के सापेक्ष काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अंतर्गत ग्राम लेड़हा एवं ग्राम टिकुरिया परगना केरामगरौर तहसील नौगढ़ जिला चन्दौली के अंतर्गत 9.90 हे० गैर वन भूमि जिलाधिकारी चन्दौली के कार्यालय आदेश दिनांक 22.01.2021 के द्वारा गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करते हुए खतौनी में दर्ज कर दिया गया है। (संलग्नक-6 खतौनी सहित) क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षों के लिए रख रखाव की लागत जमा करा दी गयी है। |
| 20 | प्रस्ताव विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation fund Management and planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तत्पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक हेतु रु० 9403810.00/-की धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC Code-CORP0000371 Account No. 150906135290796 में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1 व 2)                                                                           |
| 21 | उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथारिथति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथारिथति वापस प्राप्त हो जायेगी।</p>                                                                                                                  | <p>वन भूमि का उपयोग आवश्यकता रहने तक मार्ग निर्माण के उपयोग हेतु ही किया जायेगा। यदि आवश्यकता नहीं रहेगी तो प्रश्नगत वन भूमि को वन विभाग को वापस कर दिया जायेगा एवं इस हेतु वन विभाग से किसी प्रकार का प्रतिकर आदि की मांग नहीं की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br/>(संलग्नक :- 7)</p> |
| 22 | <p>प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण जमा करना होगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सम्बन्धित अण्डरटेकिंग वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है।</p>                                                                                                                                                                                   |
| 23 | <p>भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०(पी० टी०) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या जे०-11013/41/2006-आई०ए० - 11 (1) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्ताव विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (If applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।</p> | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन आवश्यक नहीं है।</p>                                                                                                                    |
| 24 | <p>समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।</p>                                                                                                                                                           |
| 25 | <p>उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br/>(संलग्नक :- 8)</p>                                                                                       |
| 26 | <p>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>इस बिन्दु के अनुपाल में अवगत कराना है। भूसंदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र सक्षम प्राधिकारी एवं प्रभागीय</p>                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1-9/98-एफ0सी0 दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया हो।</p>                                                                         | <p>निदेशक द्वारा प्रमाणित कर मूल प्रस्ताव में संलग्न है।</p>                                                                                                                                                                          |
| <p>27 उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।</p> | <p>इस विन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों की अनुपालन किया गया है एवं प्रभागीय निदेशक द्वारा निरीक्षणोपरान्त वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br/>(संलग्नक :- संख्या 9)</p> |

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में यद्यनवद्धता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि लीनियर प्रोजेक्ट होने के कारण कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हुए इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

(मिथिलेश कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,  
चन्दौली

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली
- 2.अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,  
चन्दौली

| AGENCY COPY                                                                         |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA                                                |                                                                                                                  |
| Date : 19-11-2020                                                                   |                                                                                                                  |
| Agency Name.                                                                        | EE PMGSY PWD CHANDAUJI                                                                                           |
| Application No.                                                                     | 6135290796                                                                                                       |
| MoEF/SO File No.                                                                    | P-29/81-2-2020-800(85)/2019                                                                                      |
| Location.                                                                           | UTTAR PRADESH                                                                                                    |
| Address.                                                                            | Temporary Division (P.P.), PWD Chandauli Chandauli                                                               |
| Amount(In Rs)                                                                       | 9403810/-                                                                                                        |
| Amount in Words :Ninety-Four Lakh Three Thousand Eight Hundred and Ten Rupees Only  |                                                                                                                  |
| NEFT/RTGS to be made as per following details;                                      |                                                                                                                  |
| Beneficiary Name:                                                                   | UTTAR PRADESH CAMPA                                                                                              |
| IFSC Code:                                                                          | CORP0000371                                                                                                      |
| Pay to Account No.                                                                  | 150906135290796<br>Valid only for this challan amount.                                                           |
| Bank Name & Address:                                                                | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11, CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |
| • This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only |                                                                                                                  |

| BANK COPY                                                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA                                                |                                                                                                                  |
| Date : 19-11-2020                                                                   |                                                                                                                  |
| Agency Name.                                                                        | EE PMGSY PWD CHANDAUJI                                                                                           |
| Application No.                                                                     | 6135290796                                                                                                       |
| MoEF/SO File No.                                                                    | P-29/81-2-2020-800(85)/2019                                                                                      |
| Location.                                                                           | UTTAR PRADESH                                                                                                    |
| Address:                                                                            | Temporary Division (P.P.), PWD Chandauli Chandauli                                                               |
| Amount(In Rs)                                                                       | 9403810/-                                                                                                        |
| Amount in Words :Ninety-Four Lakh Three Thousand Eight Hundred and Ten Rupees Only  |                                                                                                                  |
| NEFT/RTGS to be made as per following details;                                      |                                                                                                                  |
| Beneficiary Name:                                                                   | UTTAR PRADESH CAMPA                                                                                              |
| IFSC Code:                                                                          | CORP0000371                                                                                                      |
| Pay to Account No.                                                                  | 150906135290796<br>Valid only for this challan amount.                                                           |
| Bank Name & Address:                                                                | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11, CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |
| • This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only |                                                                                                                  |

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [helpdeskampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskampa@corpbank.co.in)

प्रभागीय योजनाधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर-वाराणसी

Executive Engineer  
Dr/ (P.P.) PWD, M. I. D. S. S. S.  
Chandauli

| Proposal Detail                                                                            | Application_No                        | No (New)    | PRINCIPLE                                                                                                                   | Rs.)                                                                 | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Generated Letter                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FP/UP/ROAD/35276/2018<br>K:\viewreport.aspx?<br>pd=FP/UP/ROAD/35276/2018                   | ROAD352762018796135276789             | 11 Jun 2020 | CA: 991421/-<br>PCA: 0/-<br>Safety 0/-<br>Zone: 5420250/-<br>NPV: NIL : 0/-<br>NIL : 0/-<br>NIL : 0/-<br>Total : 6411671/-  | Add 0/-<br>CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Add 0/-<br>PA : 0/-<br>NIL : 0/- | <br>Fund Demand<br>Verified by : 18 Nov 2020<br>Modal<br>Officer On : Corporation Bank<br>Bank Name : NEFT/RTGS<br>Mode of Payment : (Challan)<br>Challan Generated : 24 Nov 2020<br>On Transaction : 25 Nov 2020<br>Date | Demand Letter<br>K:\writeletter\Fundpdf\1111117125512255276789fund.pdf<br>Generated Challan (UserAccount\Net_Corporation.aspx)<br>pd=ROAD352762018796 |
| CHANDAU (U.P.)<br>FP/UP/ROAD/35290/2018<br>K:\viewreport.aspx?<br>pd=FP/UP/ROAD/35290/2018 | ROAD352902018796135290796111 Jun 2020 |             | CA: 1454110/-<br>PCA: 0/-<br>Safety 0/-<br>Zone: 7949700/-<br>NPV: NIL : 0/-<br>NIL : 0/-<br>NIL : 0/-<br>Total : 9403810/- | Add 0/-<br>CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Add 0/-<br>PA : 0/-<br>NIL : 0/- | <br>Fund Demand<br>Verified by : 18 Nov 2020<br>Modal<br>Officer On : Corporation Bank<br>Bank Name : NEFT/RTGS<br>Mode of Payment : (Challan)<br>Challan Generated : 24 Nov 2020<br>On Transaction : 25 Nov 2020<br>Date   | Demand Letter<br>K:\writeletter\Fundpdf\1111117125512255290796fund.pdf<br>Generated Challan (UserAccount\Net_Corporation.aspx)<br>pd=ROAD352902018796 |

4/5

भारतीय वनाधिकारी

करीबी वन्य जीव प्रभाग

रायनगर-बाराणसी

SWACHH BHARAT

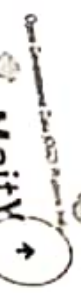
(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



From To Empower

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

GOV

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

## वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से नौगढ़ बांध मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 12.000 किमी० तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 9.90 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/35290/2018) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, के आदेश संख्या पी-29/81-2-2020- 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक-11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

43

प्रभागीय वन अधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर-वाराणसी

Q

(मिथिलेश कुमार)  
अधिसासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड(प्र०प०),लो०नि०वि०,  
चन्दौली

## वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से नौगढ़ बांध मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 12.000 किमी० तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 9.90 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/35290/2018) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्तईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, के आदेश संख्या पी-29/81-2-2020- 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक-11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-12 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि एवं उसके आस-पास की भूमि पर स्थित फलौरा एवं फौना की कोई क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी इस हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

५९

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर-वाराणसी

  
(मिथिलेश कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड(प्र०प०),लो०नि०वि०,  
चन्दौली

## वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से नौगढ़ बांध मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 12.000 किमी० तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 9.90 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/35290/2018) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, के आदेश संख्या पी-29/81-2-2020- 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक-11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-13 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल मार्ग के उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

५९

प्रभागीय वन अधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर-वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड(प्र०प०),लो०नि०वि०,  
चन्दौली

## वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से नौगढ़ बांध मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 12.000 किमी० तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 9.90 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/35290/2018) की सैद्धांतिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, के आदेश संख्या पी-29/81-2-2020-800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक-11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-20 के अनुपालन में ग्राम-टिकुरिया परगना केरामगरौर तहसील नौगढ़ जिला चन्दौली के गाटा संख्या 198 में 0.499 हे०, गाटा संख्या 197घ में 6.094 हे०, गाटा संख्या 234ग में 3.307 हे०, कुल तीन गाटों में 9.90 हे० गैर वन भूमि वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया है। जिससे सम्बन्धित खतौनी सत्यापित कर संलग्न है।

५९

प्रभागीय चयनाधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर-वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड(प्र०प०),लो०नि०वि०,  
चन्दौली

श्रेणी : 5-3-ख / वृत्ति योग्य वंजर - ऐसे वन जिसमें अत्यामकर के वृक्ष-श्राद्धियों के झुंड-श्राद्धियों इत्यादि हों।

000065

3.4450  
1.821

महाराष्ट्र राज्य सरकार  
मुंबई

236से 135 0.1550  
1413 3871 0.1010  
1.2650

http://bhubalekh.gov.in/bhubalekh\_login/app/rehsi/report\_u

14350- संशोधित आदेश तहसीलदार नोटा के अंतर्गत  
51 दिनांक 10.03.2021 के अनुपालन में कार्यवाही  
विशेषकारी चन्देरी के पत्र सं० 35/ताल-सं० 40/2021  
दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में शासनआदेश संख्या  
भा.एफ-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का  
ऑफर परिष्कार करते हुए और उल्लेखित राजस्व संहिता  
2006 के खण्ड (ग) तथा उल्लेखित संहिता नियमावली  
2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त साक्षि का प्रयोग करके तथा  
राजकीय अधिसूचना सं०-740/एफ-1-2016-20(5)/2016  
दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिधित्व अधिकारी का प्रयोग  
कते हुए मे सजीव सिंह, जिलाधिकारी चन्देरी संलग्न  
जगह में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त  
दिनांक 03.06.2016 के शासनआदेश के अनुसार अनुसूची के  
लम्ब-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के  
दखन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।  
पुनर्हीत भूमि का उपयोग स्वाम-9 में उल्लिखित प्रयोजन में  
किना जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्हीत भूमि का  
उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो  
एक भूमि पूर्ववत् ग्राम राभा में सन्निहित हो जायेगी। ग्राम-  
द्विहिया, परगना-केसामगरीर, तहसील-नोटा,  
जनपद-चन्देरी के अंतर्गत 198 रकबा 0.499हे०, अंतर्गत  
197 रकबा 6.094हे०, अंतर्गत 234 रकबा 3.307हे०,  
अंतर्गत 200 रकबा 1.176हे०, अंतर्गत 230 रकबा 0.298हे०  
कुल 05 गाटा रकबा 11.374हे० श्रेणी 5-3(स) जंगल झाड़ी  
निस्स होकर वन विभाग को सड़क निर्माण के बदले में  
दक्षिण वनीकरण हेतु दर्ज की जाती है। ए०३०  
10.03.2021

|                   |                                                         |                                          |    |         |        |   |   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|---------|--------|---|---|
| कुल गाटे- दो पांच | कुल क्षेत्रफल- दो दो दशमलव भूमि सात चार भूमि (हेक्टेयर) | कुल भू-संचालन - भूमि दशमलव भूमि भूमि रूप | 25 | 22.0740 | ₹ 0.00 | 2 | 0 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|---------|--------|---|---|

Data Digitally Signed by: SANDEEP KUNMAR SINGH

उपरोक्त उद्देश्य साधनी का वैधिकरण http://bhubalekh.gov.in WebSite पर जाकर किया जा सकता है।



संलग्न अधिकारी: S SANDEEP KUNMAR SINGH  
तहसील: नोटा जनपद: चन्देरी  
दिनांक एवं समय: 10-03-2021  
0 यह उद्देश्य साधनी के वैधिकरण के लिए है।

आविश्यासी अभियन्ता  
उत्सवार्ध खण्ड (प्र०फ०) डी०नि०वि०  
चन्देरी  
प्रधानीय न्यायिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रायनगर-वाराणसी

## वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से नौगढ़ बांध मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 12.000 किमी० तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 9.90 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/35290/2018) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, के आदेश संख्या पी-29/81-2-2020- 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक-11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-21 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल मार्ग के आवश्यकता होने तक किया जायेगा। यदि मार्ग की आवश्यकता नहीं रहेगी तो उसे वन विभाग को वापस कर दिया जायेगा। वापस करने के उपरान्त वन विभाग से कोई प्रतिकर की मांग नहीं की जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

c/s

प्रभागाय वनाधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर-वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)  
अधिसासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड(प्र०प०),लो०नि०वि०,  
चन्दौली

## वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से नौगढ़ बांध मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 12.000 किमी० तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 9.90 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/35290/2018) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, के आदेश संख्या पी-29/81-2-2020- 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक-11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-25 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि की समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

C/S

प्रभागीन वनाधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर-वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड(प्र०प०), लो०नि०वि०,  
चन्दौली

## वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से नौगढ़ बांध मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 12.000 किमी० तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 9.90 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या—(FP/UP/Road/35290/2018) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, के आदेश संख्या पी-29/81-2-2020- 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक-11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में वॉक्षित धनराशि जमा कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (प्र०प०), लो०नि०वि०, चन्दौली के पत्र संख्या 75/1सी दिनांक 09.02.2021 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत किये गये अनुपालन आख्या के आधार पर प्रश्नगत क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.02.2021 को किया गया।

उ०प्र० शासन के उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक 11 जून 2020 में अंकित समस्त शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा भविष्य में बिना कोई विवाद के अनुपालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

C/5

प्रभागीय वनाधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर-वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड(प्र०प०), लो०नि०वि०,  
चन्दौली